





उत्तराखण्ड राज्य के टिहरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 के कि०मी० 1.957 से कि०मी० 28.000 तक के पूरखण्ड (मृत्ति की रेली-आगरखाल सेवशन) के लिए एक के दो लेन चौड़ीकरण में प्रभावित ग्राम- बानगी, तहसील-नरेन्द्र नगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल के प्रतिफल की विवरणी (पत्राट)

क्र० सं०	नाम भूस्वामी/पत्र संवली	अंश	आला संख्या	अंशित मृत्ति का क्षेत्रफल	खसरे का अंशित क्षेत्रफल	मृत्ति का अंशित क्षेत्रफल (हे० मी)	दर प्रति हेक्टर (अवृत्ति) (लागत ₹०० मी)	दर प्रति हेक्टर (वृत्ति) (लागत ₹०० मी)	मृत्ति का प्रतिफल (कालन 4x कालन 5) (लागत ₹०० मी)	ग्रामीण क्षेत्र की दर्रा में योगदान (कालन 6x2) (लागत ₹०० मी)	100 प्रतिशत लोभण (कालन 7) (लागत ₹०० मी)	12 प्रतिशत अंशित वनराशि (कालन 8x545x12/36 500) (लागत ₹०० मी)*	योग (कालन 7+कालन 8+ कालन 9) (लागत ₹०० मी)	बटवारा	संशोधित संख्या	भवन का प्रतिफल (लागत ₹०० मी)	भूखे का प्रतिफल (लागत ₹०० मी)	योग 13 + कालन 14) (लागत ₹०० मी)	100 प्रतिशत लोभण (कालन 15) (लागत ₹०० मी)	12 प्रतिशत अंशित वनराशि (कालन 15x545x12/36 500) (लागत ₹०० मी)*	योग (कालन 15+कालन 17) (लागत ₹०० मी)	आयकर कटौती (लागत ₹०० मी) #	अवशेष वनराशि (लागत ₹०० मी)	बटवारा	टिप्पणी		
1	राम गोपाल पुत्र विशेषर		66	168	0.029	0.139		5005000.00	695695.00	1391390.00	1391390.00	124653.30	2907433.30			1/172	53000.00	0	53000.00	53000.00	9496.44	115496.44					
2	मदन मोहन पुत्र विशेषर			169	0.006																						
3	ललित मोहन पुत्र विशेषर			170	0.015																						
4	चण्डी प्रसाद पुत्र जगदीश प्रसाद			172	0.034																						
5	कैलाश प्रसाद पुत्र जगदीश प्रसाद			188	0.055																						
6	बैसिक शिक्षा परिषद																										
7	लोक निर्माण विभाग																										
	अंशित मृत्ति के क्षेत्रफल का योग																										
	नोट																										
	* 3र प्रकारन की विधि दिनंक 11.03.2016 से 08.09.2017 तक दिनों की संख्या 545 है।																										
	# टि०की०र०को की कटौती भुगतान के समय की जाएगी।																										
	योग								695695.00	1391390.00	1391390.00	124653.30	2907433.30					0	53000.00	53000.00	9496.44	115496.44				3022929.73	

टिप्पणी:-भूमि / भवन/वृक्ष का प्रतिकर सहखातदारों की सहमति पत्र तथा शपथ पत्र के आधार पर भुगतान किया जायेगा।..... सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति

  
  
  
  
 ADM/CAL.A.